जिला अतिथि गृह, दरभंगा के आउटसोर्स सेवाओं से संबंधित नियम एवं शर्तें

1. आंतरिक रख–रखाव (खान–पान सहित) से संबंधित कार्यः–

(क) जिला अतिथि गृह, दरभंगा में लगे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणो एवं विद्युत सम्बन्धी उपकरणों का दैनिक रख–रखाव ।

(ख) अतिथि गृह के सभी प्रकार के फर्निचर आदि का दैनिक रख–रखाव ।

(ग) अतिथि गृह दरभंगा में ठहरे हुए अतिथियों के लिए साबुन/तेल/शैम्पू सहित अन्य प्रसाधन की सभी आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराना।

(घ) जिला अतिथि गृह, दरभंगा में पूर्व से उपलब्ध बर्त्तनों का उपयोग सेवा–प्रदाता द्वारा किया जायेगा तथा इसका रख–रखाव एवं आवश्यकतानुसार बर्त्तनों का कय सेवा–प्रदाता के द्वारा ही किया जायेगा। सेवा–प्रदाता को रसोई से सम्बन्धित सारे सामानों एल0पी0जी0 गैस सहित की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(ङ) जिला अतिथि गृह में ठहरने वाले अतिथियों को उनकी मॉग पर चाय, नास्ता, भोजन आदि आपूर्ति करना होगा, जिसका भुगतान संबंधित अतिथि/कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

(च) अतिथियों के लिए चाय, नास्ता एवं भोजन आदि की दर सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित दर पर आधारित होगी तथा उससे प्राप्त आय सेवा प्रदाता को देय होगी।

(छ) निविदादाता को किसी संस्था/प्रतिष्ठान में कैटरिंग/हाउस किपिंग का न्यूनतम 03 (तीन) साल का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

(ज) वित्तीय लिफाफे में निविदादाता को उपरोक्त सेवा के विरूद्ध मासिक राशि......................अंकित करनी होगी जिसमें जेनरेटर संचालन हेतु प्रति घंटे का दर भी अंकित करना होगा।

(झ) जिला प्रशासन की ओर से एक केयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जो उपयुक्त संचालन व्यवस्था का अनुश्रवण करेगा।

(ञ) अतिथि गृह के कमरों का आरक्षण पूर्ववत जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी।

2. जिला अतिथि गृह, दरभंगा के आंतरिक परिसर की सफाई :–

क. जिला अतिथि गृह, दरभंगा के पुराने एवं नये भवनो के सभी कमरों, बरामदा, शौचालय, दीवार के किनारे लगे टाईल्स, सभी फर्नीचर एवं उपकरण, लाईट, पंखे, खिड़कियों में लगे ग्रिल, दरवाजे के बाहर एवं अंदर का भाग, सीढ़ियाँ, रैम्प इत्यादि की साफ–सफाई की जानी है।

ख. सफाई निम्न प्रकार से की जानी है:–

1. फर्श/शौचालय – लगातार सफाई की जानी है, किसी भी समय गन्दा नहीं होना चाहिए।
2. दीवार– साप्ताहिक
3. छत – साप्ताहिक
4. खिड़की एवं दरवाजा – साप्ताहिक

ग. सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे फ्लोर क्लीनर, फिनाईल, ग्लास क्लीनर, मॉस्कीटो,कॉकरोच स्प्रे, शौचालय में नेप्थलीन की गोली, हैण्डवाश एवं रूम फ्रेशनर इत्यादि प्रत्येक कमरे में संवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

घ. संवेदक द्वारा जिला अतिथि गृह, दरभंगा के आंतरिक परिसर में जगह–जगह पर डस्ट–बिन लगाना होगा। जिन स्थानों में पहले से डस्ट–बिन लगा हुआ है, वैसे डस्ट–बिन का अनुरक्षण, देखभाल, क्षतिग्रस्त होने पर प्रतिस्थापन संवेदक को करना होगा।

ङ. प्रत्येक शौचालय में एण्टी बैक्टेरियल साबुन एवं टीशू पेपर संवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

च. भवन के छत–छज्जे पर जल जमाव को दूर करना एवं भवन पर उग आये पौधों को जड से सफाई करना।

छ सभी कर्मी को एजेन्सी द्वारा प्रदत्त ड्रेस/यूनिफार्म में रहना, जिस पर कर्मी का नाम अंकित होगा।

3. धुलाई

I. प्रत्येक कमरा के बेडसीट, तकिया कवर, चादर, तौलिया आदि रोजाना धोना, आयरन करना और स्टार्च संवेदक को करना होगा।
II. कम्बल, पर्दा, तोशक, मच्छरदानी आदि जब भी गंदा हो, की धुलाई संवेदक को करनी होगी।
III. सफाई में प्रयुक्त होने वाली डिटर्जेंट पाउडर आदि सामग्रियों की आपूर्ति संवेदक को ही करनी होगी।
IV. धुलाई हेतु कपड़ों का लेखा–जोखा जिला अतिथि गृह इन्चार्ज या अन्य अधिकृत कर्मी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में पंजी संधारित कर किया जायेगा।

4 जेनरेटर

(क) निर्बाध विद्युत व्यवस्था हेतु लगभग 100 के0भी0ए0 प्रदूषण रहित, ध्वनि रहित जेनरेटर जिला अतिथि गृह में अधिष्ठापित करना होगा जिससे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था अधिष्ठापन के समय से सेवा प्रदाता द्वारा दोनों भवनों में की जायेगी। जेनरेटर खराब होने की स्थति में वैकल्पिक व्यवस्था सेवा प्रदाता को तुरंत करनी होगी। ईंधन आदि की आपूर्ति सेवा प्रदाता द्वारा की जायेगी, जिसका भुगतान प्रति घंटे की दर के आधार पर विद्युत उपलब्धता एवं संधारित लॉग बुक के विरूद्ध किया जायेगा।
(ख) जिला अतिथि गृह के वायरिंग से छेड़–छाड़ या समानान्तर वाइरिंग संवेदक द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

5 <u>जिला अतिथि गृह, दरभंगा का रख–रखाव तथा बाहरी परिसर की सफाई</u>

(क) जिला अतिथि गृह के परिसर की पूरी सफाई करना।
(ख) जिला अतिथि गृह के परिसर के फूल पौधों के देख–भाल करना तथा सिंचाई करना।
(ग) संवेदक द्वारा समय–समय पर नये–नये फूल–पौधें इत्यादि लगाकर गार्डेन तथा हर्बल गार्डेन को सुन्दर एवं उपयोगी बनाये रखना।
(घ) जिला अतिथि गृह के बाहरी परिसर में लगे पेड़ों का समय–समय पर रंग–रोगन संवेदक को करना होगा।
(ङ) जिला अतिथि गृह के नालों आदि की सफाई नियमित रूप से करना।
(च) भवन से सटे परिसर की सफाई एवं गन्दे सामानों को निर्धारित स्थानों पर फेंकना तथा चूना गेमक्सीन,ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना है।
(छ) जिला अतिथि गृह के बाहरी परिसर में दो अलग–अलग रंग के डस्ट बिन जिसका आकार 4 फीट से कम न हो, की स्थापना संवेदक को करनी होगी।

6 <u>रख–रखाव हेतु कार्मियों की न्यूनतम संख्या संवेदक को बनाये रखना होगा तथा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, सरकार द्वारा निर्गत न्यूतम मजदूरी देय होगा, कर्मियो की संख्या निम्नवंत होगीः–</u>

खानसामा – 02
हेल्पर – 02
अटेंडेंट– 03
सफाई कर्मी – 02
सुपर वाइजर 01
माली – 01
प्रहरी– 02 दिन एवं रात हेतु।

7 **परफारमेन्स सिक्यूरिटी**— निविदा में भाग लेने के लिए परफारमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में मो0 50,000.00 (पच्चास हजार) रूपये मात्र बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर/नाजिर रसीद संलग्न करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, दरभंगा के नाम से भुगतेय होगा।

8 निविदा स्वीकृत होने पर 1000 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर जिला प्रशासन के साथ एकरारनामा करना होगा।

09 निविदा जिला नजारत कार्यालय दरभंगा में निर्धारित तिथि तथा समय तक जमा की जा सकेगी।

10 निविदा जिला कय समिति—सह—दर निर्धारण समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

11 निविदादाता अपना पूरा पता/दूरभाष संख्या/मोबाइल नं0/ई—मेल एवं सजायाफ्ता नहीं होने संबंधी शपथ पत्र मूल रूप में संलग्न करेंगे।

12 बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार समिति को सुरक्षित रहेगा।

13 अति न्यूनतम दर पर निविदा प्राप्त कर असंतोषजनक कार्य करने या कार्य छोड़ देने की स्थिति में सिक्यूरिटी मनी जब्त कर काली सूची में नाम डाल दिया जायेगा।

14 पूर्व मे असंतोषजनक कार्य करने वाले व्यक्ति/फर्म के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

15 निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान सम्पूर्ण कार्य के लिए समेकित रूप से दर दे सकते हैं। स्वीकृत दर सभी कर सहित होगी अतिरिक्त कोई कर अनुमान्य नहीं होगा।

16 विपत्र से स्त्रोत पर आवश्यक कर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

17 किसी भी प्रकार के औचक जॉच या निरीक्षण के कम में अनुबंध के अनुरूप कार्य नहीं पाये जाने पर संबंधित एजेन्सी के विरूद्ध चेतावनी के साथ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। तीन बार ऐसे दण्ड प्राप्त करने वाली एजेन्सी के एकरारनामा को समाप्त कर उन्हें काली सूची में डाल दिया जायगा।

जिला पदाधिकारी
दरभंगा।

समाहरणालय दरभंगा

(जिला नजारत शाखा)

जिला अतिथि गृह, दरभंगा के संचालन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के उप सचिव सामान्य प्रशासन, विभाग बिहार सरकार पटना के पत्र संख्या –775, दिनांक 10.08.2010 के आलोक में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला अतिथि गृह, दरभंगा के सभी भवनों एवं बाहरी कैम्पस की साफ–सफाई, कपड़ा धुलाई एवं अतिथियों के लिए भोजनादि अपूर्ति करने हेतु फर्म/ संस्थानों से मुहरबंद लिफाफे में निविदा निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन आमंत्रित की जाती हैः–

निविदा दो अलग–अलग सील्ड लिफाफा में देना होगा जिस पर क्रमशः 'तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित रहेगा। तकनिकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

तकनिकी निविदा की शर्तेः–

1. फर्म/संस्था का श्रम संसाधन विभाग से निबंधन प्रमाण पत्र ।
2. पैन कार्ड की छाया प्रति
3. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं अद्यतन जी0एस0टी0 रिटर्न की छाया प्रति।
4. फर्म/संस्था का वार्षिक टर्नओवर 25,00,000.00 (पचीस लाख) रूपये से कम नहीं होना चाहिए।
5. जमानत की राशि 50,000.00 (पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर (जो जिला पदाधिकारी, दरभंगा/DM Darbhanga के नाम से होगा)/नाजिर रसीद।
6. विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन विवरणी।
7. निविदादाता फर्म/संस्था को काली सूची में दर्ज नही होने का मूल शपथ पत्र।
8. तकनिकी निविदा में संलग्न सभी कागजात राजप्रत्रित (गजेटेड) ऑफिसर से अभिप्रमाणित हों।
9. समान प्रकार के कार्य सम्बन्धित 3 साल का अनुभव प्रमाण–पत्र।
10. 100 के0भी0ए0 का जेनरेटर सेट स्थापित करने हेतु सहमति पत्र।
11. फुड लाईसेन्स की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।
12. ऑडिट रिपोट की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।
13. चरित्र प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।
14. कर्मचारी भविष्यनिधि में निबंधन संबंधित साक्ष्य की अभिप्रमाणित छाया प्रति।
15. कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में निबंधन से सम्बन्धित साक्ष्य की अभिप्रमाणित छाया प्रति।
16. वाणिज्यि यंत्र से साफ–सफाई/कपड़ा धुलाई

वित्तीय निविदाः— निम्न प्रपत्र में भरकर द्वितीय लिफाफा में देना होगा—

क0स0	कार्य की विवरणी	समेकित संयुक्त कार्य का दर समर्पित करें।
1	जिला अतिथि गृह का रख—रखाव (खान पान सहित)	
2	साफ—सफाई (आंतरिक एवं बाहरी)	
3	गार्डेनिंग	
4	जनरेटर सहित सभी उपकरणो की देख—रेख एव सुरक्षा	
5	सभी कपड़ो की वाशिंग गशीन से धुलाई, स्टार्च एवं ईस्त्री इत्यादि कार्य	

नोटः—

- प्रस्तावित आउटसोर्सिंग सेवा से संबंधित विवरणी जिले के Website: http://www.darbhanga.bih.nic.in से Download किया जा सकता है।
- दिनांक 17.09.19 को 01:00 बजे अपराह्न तक जिला नजारत शाखा दरभंगा में निविदा प्राप्त किया जायेगा।
- निविदा दिनांक 17.09.19 को 03:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय—राह—दर निर्धारण समिति के समक्ष खोली जायेगी। इसमें निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है, उनके अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है।
- वित्तीय निविदा एवं तकनिकी निविदा की शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निविदा रद्द करने का अधिकार समिति को सुरक्षित रहेगा।
- उक्त निविदा तीन वर्षों के लिए मान्य होगी एवं प्रतिवर्ष दर में 8% की वृद्धि की जा सकेगी। सेवा संतोषजनक रहने पर आपसी सहमति से अवधि विस्तार किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी
दरभंगा।